न्यायालय–अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश–पंचम–सह–
विशेष उत्पाद न्यायालय–द्वितीय,लखीसराय।
बी0पी0 संख्या–2248/2022
उत्पाद थाना कांड सं0–371सी2/2022

रामवती देवी————————————————————————————आवेदिका।
बनाम्
बिहार राज्य—————————————————————————————विपक्षी।
धारा–30(a) बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम।
आवेदिका की ओर से विद्वान अधिवक्ता– श्री संजय कुमार।
राज्य की ओर से विद्वान अपर लोक अभियोजक– श्री रामानंद ठाकुर।

आदेश

18.10.2022– दिनांक–01.10.2022 से काराधीन अभियुक्त **रामवती देवी, पति–जादू मांझी** की ओर से जमानत आवेदन दाखिल किया गया है, जो उत्पाद थाना कांड संख्या–371सी2/2022, अंतर्गत धारा–30(a) बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम से संबंधित है, को उनके विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रचालित किया गया है। जमानत आवेदन की प्रति विद्वान लोक अभियोजक को प्रदान की गयी है।

अभियोजन केस संक्षेप में यह है कि सूचिका दिप्ती कुमारी अ.नि.म.नि. के पद पर वर्तमान में उत्पाद थाना लखीसराय में प्रभारी नि.म.नि. के पद पर पदस्थापित हैं। दिनांक–10.09.2022 को गुप्त सूचना के आधार पर सूचिका अपने सहयोगियों के साथसंतर मुहल्ला एवं रामवती देवी के घर जाहं शराब का निर्माण का कारोबार किया जाता है, पहुंची तथा रामवती देवी के घर को घेरे में लिये। एक महिला सिपाही के साथ घर में गई तो देखी कि घर के पीछे के रास्ते एवं महिला एक डिब्बा लिये निकल रही है। नियमानुसार महिला सिपाही द्वारा उस महिला रामवती देवी की तलाशी ली गई तो पास वाले डिब्बे में 20 लीटर चुलाई शराब की बरामदगी की गई।

आवेदिका अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि आवेदिका की ओर से पूर्व में कोई भी जमानत आवेदन श्रीमाान् के न्यायालय में या किसी वरीय न्यायालय में दाखिल नहीं किया गया है। आवेदिका का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदिका निर्दोष हैं, इन्होंने अपराध नहीं किया है। आवेदिका को प्रस्तुत वाद में परेशान करने के लिए स्थानीय राजनीति एवं द्वेष के कारण झूठा फसाया गया है। आवेदिका के कब्जे से किसी भी प्रकार की बरामदगी नहीं की गई है। जप्ती सूची में स्वतंत्र साक्षी का नाम दर्ज नहीं किया गया है। आवेदिका 60 वर्ष की एक बुजुर्ग महिला हैं, जिन्हें पुलिस के द्वारा सिर्फ संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया गया है तथा दिनांक–01.10.2022 से तार्किक कारण के न्यायिक हिरासत में हैं। अतः श्रीमान् से प्रार्थना है कि आवेदिका को जमानत की सुविधा प्रदान की जाय।

विद्वान विशेष लोक अभियोजन पदाधिकारी इस नियमित जमानत आवेदन का विरोध करते हैं तथा निवेदन करते हैं कि अभियुक्त का नियमित जमानत आवेदन खारिज करने की कृपा की जाय।

उभय पक्षों का बहस सुने जाने के पश्चात् अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि अभियोजन द्वारा कंडिका–17 दिनांक–15.10.2022 तक की वाद दैनिकी दाखिल किया गया है, जिसके कंडिका–16 में यह उल्लिखित किया गया है कि

न्यायालय–अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश–पंचम–सह–
विशेष उत्पाद न्यायालय–द्वितीय,लखीसराय।
बी0पी0 संख्या–2248/2022
उत्पाद थाना कांड सं0–371सी2/2022

लगातार.....
18.10.2022

अभियुक्त के विरुद्ध उत्पाद थाना में कोई आपराधिक इतिहास नहीं है तथा आवेदिका अभियुक्त के जमानत आवेदन के कंडिका–3 में भी यह उल्लिखित किया गया है कि इनके विरुद्ध कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। प्रस्तुत वाद में आवेदिका अभियुक्त पर इनके कब्जे से 20 लीटर अवैध चुलाई शराब की बरामदगी का आरोप है। आवेदिका अभियुक्त एक 60 वर्षीय बुजुर्ग महिला हैं तथा दिनांक–01.10.2022 से आज तक न्यायिक हिरासत में हैं।

अतः उपरोक्त विवेचना एवं विशेष रूप से इन तथ्यों पर सम्यक् विचार करते हुए कि आवेदिका अभियुक्त की कारा संसीमित की अवधि, इनके पास से बरामद शराब की मात्रा, आवेदिका अभियुक्त का एक 60 वर्षीय बुजुर्ग महिला होना तथा इनका आपराधिक इतिहास न होना को दृष्टिगत रखते हुए यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि आवेदिका अभियुक्त का जमानत आवेदन स्वीकृत किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः आवेदिका अभियुक्त **रामवती देवी, पति–जादू मांझी** का जमानत आवेदन **स्वीकृत** किया जाता है।

तद्नुसार, आवेदिका अभियुक्त की ओर से मो. 10,000 रूपये का समान राशि के दो प्रतिभुओं के साथ बंधपत्र दाखिल करने पर इस शर्त के साथ मुक्त करने का आदेश दिया जाता है कि (1) इनका एक जमानतदार निकट संबंधी होंगे तथा (2) आवेदिका अभियुक्त यह अंडरटेकिंग दाखिल करेंगे कि वे इस प्रकृति के अपराध की पुर्नावृत्ति भविष्य में नहीं करेंगे और यदि वे उत्पाद अधिनियम के अंतर्गत पुनः कोई अपराध करते पाये जाते हैं, तो उनका बंधपत्र खंडित किया जा सकेगा। प्रस्तुत वाद की निश्चित तिथि 20.10.2022 है। आवेदिका अभियुक्त को निर्देश दिया जाता है कि वे उपरोक्त निश्चित तिथी को तथा आरोप गठन के बिन्दु पर आदेश तक प्रत्येक तिथि को सदेह उपस्थित रहेंगे।

कार्यालय आदेश की एक मूल अभिलेख के साथ संलग्न करें तथा नियमानुसार अभिलेख को अभिलेखागार में जमा करें।

लेखापित

(संदीप सिंह)
अ0 जि0 एवं सत्र न्या0, पंचम–सह–
अनन्य विशेष उत्पाद न्यायालय, द्वितीय
लखीसराय।
दिनांक–18.10.2022